मुकदमा नम्बर :– 59/2019 रूखीदेवी बनाम [illegible]

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व अहकाम हुक्म तामील में जारी हुए

28/6/19 पत्रावली पेश हुई।

वादी अधिवक्ता उप0। पैरोकार उपस्थित।

प्रतिवादी संख्या 1 की और से इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार की और से जवाब प्रस्तुत किया। जो शामिल मिसल हो।

वकील ईश्वरसिंह भाटी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी का प्रस्तुत कर प्रार्थी मुकेशसिंह पुत्र खेतसिंह तथा महेन्द्रसिंह पुत्र खेतसिह नाबालिग की कुदरति वलिया माता श्रीमती रूपकंवर पत्नी खेतसिंह, जाति–रावणा राजपुत, नि0 विरधसिंह की ढाणी, तह0 शिव, जिला बाडमेर को पक्षकार प्रतिवादी के रूप में जोडे जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील वादीनी ने अनापति जाहीर की। अतः प्रार्थी मुकेशसिंह पुत्र खेतसिंह तथा महेन्द्रसिंह पुत्र खेतसिह नाबालिग की कुदरति वलिया माता श्रीमती रूपकंवर पत्नी खेतसिंह, जाति–रावणा राजपुत, नि0 विरधसिंह की ढाणी, तह0 शिव, जिला बाडमेर को पक्षकार प्रतिवादीगण के रूप में जोडे जाने के आदेश दिये जाते है। वादीनी अधिवक्ता ने संशोधित शीर्षक पेश किया जो शामिल मिसल कर रेकर्ड पर लिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। जो शामिल मिसल किया गया।

पक्षकारान ने आपसी सहमति एवं लोक अदालत की भावना से प्रेरीत होकर आज ही अदालत मे स्वय उपस्थित होकर राजीनामा भी प्रस्तुत किया है जो शामिल मिसल किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ताओ एवं पक्षकारान को सुना गया।

वादीनी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी का खेत तहसील शिव पटवार मण्डल नागड़दा के ग्राम विरधसिंह की ढाणी में खेत खसरा नम्बर 323/248 रकबा 65.04 बीघा का आया हुआ है। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त हिन्दू परिवार है जो हिन्दू विधि से शासित होते है। वादीनी, प्रतिवादी संख्या 1 की माता है जो स्व0 चकसिंह (सिकुसिंह) की प्रथम वर्ग की वारीस है। वादग्रस्त आराजी वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी सहदायिकी की भूमि है। जिसमें वादीनी स्व0 चकसिंह की धर्मपत्नी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 स्व0 चकसिंह व वादीनी का एकमात्र जायन्दा पुत्र है। वादग्रस्त आराजी वादीनी के पति चकसिंह (सिकुसिंह) को आंवटन हुई थी। उक्त आराजी वादीनी के पति एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता चकसिंह (सिकुसिंह) के देहान्त पर वादीनी हिन्दू विधि से शासित होने के कारण उनके देहान्त के क्षण ही उसके प्रथम वर्ग की वारीस होने से वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 में निहित हो गई थी किन्तु विरासत का नामान्तरकरण केवल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही खोला जाकर स्वीकृत कर दिया गया। जबकि इस वादग्रस्त आराजी में वादीनी के अधिकार अपने पुत्र के बराबर है व इस वादग्रस्त आराजी में वादीनी अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहैसियत सह खातेदार कृषक काश्त करती आ रही है। अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मे वादीनी का खातेदारी हिस्सा 1/2 घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदारी हिस्सा 1/2 निश्चित किया जावे। वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के ही नाम पर अंकित होने तथा मुझ वादीनी का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं होने का अनुचित फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 इस आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अतः वादीनी वाद के निर्णय तक वादग्रस्त

मुकेशसिंह

खेतसिंह

नि. रूखीदेवी

नि. रूपकंवर

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

आराजी को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी होने से उक्त वाद स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। वादीनी ने इस वाद के माध्यम से वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 को नाबालिग दर्ज किया गया है। जबकि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 बालिग हो जाने के कारण नाबालिग की प्रविष्टि हटाये जाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम व वल्दियत तथा जाति – **खेता पुत्र सीकू** व **वजीर** दर्ज की गई है जिसे **खेतसिंह पुत्र चकसिंह** व **रावणा राजपुत** किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को सम्मन भेजे गये। प्रतिवादी संख्या 1 की और से वकील श्री ईश्वरसिंह भाटी ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार तहसीलदार शिव ने भी अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीनी के वाद को स्वीकार कर वादीनी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर का सहखातेदार घोषित किया जाना उचित माना एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाबालिग की प्रविष्टि को हटाये जाने एवं राजस्व रेकर्ड में अंकित जाति **वजीर** के स्थान पर **रावणा राजपुत** किये जाने व प्रतिवादी संख्या 1 की वल्दियत सीकू के स्थान पर चकसिंह किये जाने बाबत् अनापति जाहीर की है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पुश्तैनी भूमि है जिसमे हम प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का भी हक हिस्सा है। हम प्रतिवादी संख्या 3 व 4, प्रतिवादी संख्या 1 के जाईन्दा पुत्र है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को हमारे दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 पिता **चकसिंह (सिकुसिंह)** के फौत होने पर जरीये विरासत के नामान्तरकरण की स्वीकृति से प्राप्त हुई होने से हम प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का भी हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के साथ निहीत होने से हम प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को इस वादग्रस्त आराजी में प्रतिवदी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर 1/6–1/6 का खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदारी हिस्सा 1/6 तथा वादीनी का खातेदारी हिस्सा 1/2 निश्चित किया जावे।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ता एवं पक्षकारान को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का एवं उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। वाद में वर्णित वादग्रस्त आराजी वादीनी के पति, प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के दादा **चकसिंह (सिकुसिंह)** को आवंटन हुई थी, जिसकी ताईद नामान्तरकरण संख्या 194 मौजा साजीतडा तह0 शिव से होती है। उक्त वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के ही नाम दर्ज है उक्त वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को पूर्व खातेदार **चकसिंह (सिकुसिंह)** के फौत होने पर विरासत के नामान्तरकरण संख्या 359 मौजा साजीतडा तह0 शिव की स्वीकृति से विरासत में प्राप्त हुई है। इस नामान्तरकरण में प्रतिवादी संख्या 1 को ही वारीस दर्ज किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 को नाबालिग दर्ज करते हुए वलि माता को दर्ज किया है किन्तु माता (वादीनी) को खातेदार के रूप में दर्ज नही किया है। जबकि इसी नामान्तरकरण के विवरण मे हल्का पटवारी ने चकसिंह (सिकुसिंह) के वारीसान में प्रतिवादी संख्या 1 व उनकी धर्मपत्नी को वारीस बताया है। अतः पूर्व खातेदार चकसिंह (सिकुसिंह) के वारीसान में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीनी खातेदार दर्ज होना स्वतः साबित है। उक्त वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी साबित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई होने से प्रतिवादी संख्या 3 व 4 भी इस आराजी के सहदायिक है। वाद में वादीनी ने राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टि प्रतिवादी संख्या 1 के नाबालिग को हटाये जाने की मांग की है प्रतिवादी संख्या 1 के दस्तावेजात –आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड व बैंक डायरी का अवलोकन करने पर प्रतिवादी संख्या 1 के बालिग होने की पुष्टि होती है। राजस्व रेकर्ड दर्ज

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
श्रीमती रूखीदेवी पत्नी चकसिंह, जाति– रावणा राजपुत, नि0 विरधसिंह की ढाणी तह0 शिव, जिला बाडमेर		1. खेतसिंह पुत्र चकसिंह, जाति– रावणा राजपुत, नि0 विरधसिंह की ढाणी तह0 शिव । 2. राज0 राज्य द्वारा तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक शिव 3. मुकेशसिंह पुत्र खेतसिह 4. महेन्द्रसिह पुत्र खेतसिंह जाति– रावणा राजुपत, नि0 विरधसिंह की ढाणी, तह0 शिव (प्रतिवादी संख्या 4 नाबालिग की कुदरति वलिया माता श्रीमति रूपकंवर पत्नी खेतसिंह

मुकदमा नम्बर :–59/2019

दावा बाबत् : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,207 RT Act

दिनांक 28.06.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू न्यायालय बहाजरी वादीनी वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग उपस्थित मिनजानिब मुदई प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 के वकील ईश्वरसिंह भाटी उपस्थित। अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादीनी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर तहसील शिव पटवार मण्डल नागडदा के ग्राम विरधसिंह की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 323/248 रकबा 65.04 बीघा भूमि में वादीनी का खातेदारी हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदारी हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या 3 का खातेदारी हिस्सा 1/6 व प्रतिवादी संख्या 4 का खातेदारी हिस्सा 1/6 घोषित किया जाता है। राजस्व रेकर्ड मे दर्ज प्रविष्टि नाबालिग वली रूखी पत्नी सीकू को हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकर्ड मे दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 की जाति वजीर के स्थान पर रावणा राजपुत घोषित की जाती है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की वल्दियत सीकू के स्थान पर चकसिंह घोषित की जाती है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) ...

(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 की जाति वजीर है किन्तु उक्त जाति को रावणा राजपुत से भी संबोधित किया जाता है। अतः राजस्व रेकर्ड मे दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 की जाति वजीर के स्थान पर रावणा राजपुत किये जाने में कोई आपति प्रतीत नही होती है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 की वल्दियत सीकू दर्ज है जबकि प्रतिवादी के समस्त आवश्यक दस्तावेजात एवं प्रतिवादी पैरोकार के जबाब से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 की वल्दियत सीकू के स्थान पर चकसिंह है। अतः समस्त तथ्यो, वादीनी के वाद, प्रतिवादीगण के जवाब दावो, पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात तथा उभय पक्षकारान स्वंय द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये राजीनामा के परिपेक्ष्य में वादीनी के वाद व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के काउन्टर क्लेम को स्वीकार किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

लिहाजा वादीनी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर तहसील शिव पटवार मण्डल नागडदा के ग्राम विरधसिंह की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 323/248 रकबा 65.04 बीघा भूमि में वादीनी का खातेदारी हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदारी हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या 3 का खातेदारी हिस्सा 1/6 व प्रतिवादी संख्या 4 का खातेदारी हिस्सा 1/6 घोषित किया जाता है। राजस्व रेकर्ड मे दर्ज प्रविष्टि नाबालिग वली रूखी पत्नी सीकू को हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकर्ड मे दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 की जाति वजीर के स्थान पर रावणा राजपुत घोषित की जाती है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की वल्दियत सीकू के स्थान पर चकसिंह घोषित की जाती है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 11:54:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: